

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- खारदीप

प्रकरण संख्या:- 294/25

दिनांक:- 3-10-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

श्री सोहनलाल पुत्र
श. व. व. लाल

उनवान

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का खारदीप भू. अ. नि. खारदीप एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खारदीप प. 0 ह. 0 खारदीप की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 1120 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>ग्राम व हिस्सा अशुद्ध</u>	<u>सोन्या पुत्र शकन हिन्दु सोहनलाल पुत्र शकन हि 12</u>	<u>सोहनलाल पुत्र शकनलाल हि 5/12 शेष अफन बदस्तूर</u>

10/10
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत कुरे।
2. प्रार्थी श्री सोहनलाल पुत्र शकनलाल जाति शकन ।

10/10
 उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)